Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

सज्जन देवी बनाम नगर सुंधार न्यास

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 28 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17-04-2023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया/प्रतिवादिया सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि. 04.02.23 का निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थिया/प्रतिवादिया सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाऐं तो प्रार्थना पत्र में मुख्यतः कथन अंकित किये है कि उक्त प्रकरण में वादिया की ओर से दिनांक 21-01-2023 को एक प्रार्थना पत्र इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वाद पत्र व वर्तमान में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भारी विरोधाभास है, इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र के न्यायपूर्ण निस्तारण से पूर्व वादिया का वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के बारे में प्रतिपरिक्षित होना नितान्त आवश्यक व अनिवार्य है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किए जाने से पूर्व उनको वादिया से प्रतिपरिक्षण किए जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावें। जिसका जवाब पेश करते हुऐ अप्रार्थिया/वादिया की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि प्रार्थिया/प्रतिवादिया सं. 3 की ओर से पूर्व में भी दो बार प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 19 नियम 2 व्य प्र सं. प्रस्तुत किये गये थे को माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया व पुनः उक्त क्रम में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार है जिसमें पहले चरण बाबत प्रकरण उक्त दिवस को विचारण हेतु नियत एव द्वितीय चरण वादिया द्वारा प्रस्तुत दिनांक 21.01.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत इण्डियन स्टाम्प एक्ट व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने का अभिकथन किया गया है, एवं तृतीय चरण बाबत "वाद पत्र व वर्तमान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भारी विरोधाभास है" पूर्णतयाः अस्पष्ट व कारणहीन है, क्योकि क्या विरोधाभास है, अंकित नही किया गया है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 व 3 के तहत साक्ष्य की परिभाषा में नहीं आता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत का हवाला दे कथन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	किया कि प्रतिवादी संख्या 3 भी अपने कथन को शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण एक संक्षिप्त कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता में दी गई प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, उक्त प्रार्थना पत्र मात्र वाद को विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो का प्रतिपरीक्षण आदेश 19 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत पोषणीय नही है, उक्त प्रतिपरीक्षण वाद में वादिया की साक्ष्य अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पर ही प्रति–परीक्षण की अनुमति देय होना बताते हुऐ, प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष सुनी गई, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया का कथन है कि हस्तगत वाद सज्जन देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, एवं वाद के समर्थन में जो साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत हुऐ है वे छगनलाल कोठारी व मुकेश कोठारी के प्रस्तुत हुऐ है। वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के साथ जो शपथ–पत्र प्रस्तुत हुआ है वह सज्जन कोठारी का प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त शपथ–पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में सज्जन देवी से जिरह किया जाना आवश्यक है, फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। जब कि इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन रहा हैं कि प्रस्तुत शपथ–पत्र जिन प्रार्थना–पत्रों के संबंध में प्रस्तुत किया गया है वह साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आता, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत– सिविल अपील नं. 4145–46/1986 दि. 16.04.88 एस.सी. सुधा देवी बनाम एम पी नारायण व अन्य प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आता है कि प्रार्थिया/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 के तहत प्रस्तुत शपथ–पत्र जो कि सज्जन कोठारी का है पर जिरह करने की अनुमति चाही गई है, उक्त शपथ–पत्र मात्र वादिया द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में दिया गया शपथ–पत्र है जो उसके द्वारा स्वयं के ज्ञान व उपलब्ध विधिक सलाह के आधार पर दिया गया है। उक्त शपथ–पत्र साक्ष्य शपथ–पत्र की श्रेणी में नहीं आता, ना ही आदेश 18 नियम 4 सी पी सी. के तहत प्रस्तुत शपथ–पत्र है, प्रस्तुत शपथ–पत्र मात्र प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की जिरह की अनुमति दिया जाना न्यायोचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थिया/प्रतिवादिया सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दि. 04.02.23 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 33 इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 व धारा 37 राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 हेतु दि. ..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –4–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए